



ORIGINAL RESEARCH PAPER

History

भीमाराजे होलकर और उनकी 'कूच' जागीरी का इतिहास

KEY WORDS:

प्रो. अतिमा कनेरिया

सहायक प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय आदर्श महाविद्यालय हरदा

नारी शौर्य की परम्परा में होलकर राजवंश की राजकुमारी यशवंतराव होलकर (प्रथम) की पत्नी भीमाराजे होलकर का नाम इतिहास के पृष्ठों में सदैव अमर रहेगा। भीमाराजे सन् 1817 ई. के महिदपुर युद्ध की वीराना थी। प्राप्त सन्दर्भों के आधार पर ज्ञात होता है कि भीमाराजे महाराजा यशवंतराव होलकर की ब्याहता पत्नी लाडाबाई की पुत्री थी। भीमाराजे का सर्वप्रथम उल्लेख उस समय प्राप्त होता है जब दौरावा सिंधिया ने होलकर के अन्तपुर की महिलाओं को कैद कर दिया था। भीमाराजे भी उन्हीं महिलाओं में सम्मिलित थी। जोधपुर से लिखा हुआ अपने पिता के नाम एक पत्र भी भीमाराजे का प्राप्त होता है।

होलकर राजवंश की इस राजकुमारी भीमाराजे का यह दुर्भाग्य ही था कि राजवंशीय वैभव की गोद में जन्म लेने के बावजूद भी वह माता के ममत्व और पिता के दुलार से वंचित रही। भीमाराजे की शिक्षा-दीक्षा और प्रारम्भिक जीवन के विषय में इतिहास मौन है। माता की असमयिक मृत्यु और पिता के सतत सैन्य अभियानों में लगे रहने के कारण निःसंदेह भीमाराजे की शिक्षा-दीक्षा भलिभांति नहीं हो पायी होगी। अन्तपुर के निरन्तर चलने वाले षडयंत्र और गृहकष्ट के वातावरण में उस युग में नारी शिक्षा की समुचित व्यवस्था की कल्पना ही की जा सकती है।

महाराजा यशवन्तराव होलकर (1798-1811ई.) अपने जीवन काल में ही अपनी लाडली पुत्री को दाम्पत्य के सूत्र में बांध देना चाहते थे। होलकर राज्य के संस्थापक सुबेदार मल्हारराव होलकर (1728-1766ई.) के शासन काल से ही होलकर और बुले (बोलिया) परिवार के बड़े ही सौहार्दपूर्ण संबंध थे। लगभग 18वीं शताब्दी में बोलिया परिवार के पूर्वज विठोजी बोलिया होलकर राज्य में सूबा बनकर आये थे। विठोजी बोलिया पेशवा के वरिष्ठ सामन्त रहे थे और पेशवा ने उनकी समुचित सेवाओं का मूल्यांकन करते हुए उन्हें 'सरदार' की पदवी से नवाजा था।

12 फरवरी, सन् 1809 ई. के दिन यशवन्तराव बोलिया (द्वितीय) के साथ कर दिया। यशवन्तराव होलकर के जीवन काल का यह प्रथम मांगलिक कार्य था। पुत्री के विवाह के अवसर पर गणमान्य सरदारों, जागीरदारों तथा ठिकानेदारों को आमंत्रित किया गया। विवाह के अवसर पर दो हजार रुपये के फटाखे और आतिशबाजी का सामान उज्जैन से मंगवाया गया लगभग 14 हजार रुपये के मेवे मिष्ठान और मिठाईयों पर व्यय किये गये। कन्यादान के अवसर पर अपनी लाडली पुत्री के पिता यशवन्तराव होलकर ने अन्य रत्नों सहित 200 तोला सोना, 07 सेर चांदी के आभूषण भेंट किये थे।

दहेज :-इसके अतिरिक्त महाराजा यशवन्तराव होलकर ने अपनी पुत्री को बन्देलखंड स्थित 'कूच' (कोंच) परगने की 200,000/- दो लाख रुपये वार्षिक की जागीर भी दहेज में दी थी।साथ ही थांदला और चिखल्दा के महल भी बोलिया परिवार को दहेज में दिये गये थे।

भीमाराजे की कूच (कोंच) जागीर का समृद्धशाली इतिहास
कूच जागीर का अपना एक समृद्धशाली इतिहास रहा है। वर्तमान में कूच (कोंच) जालौन (उ.प्र.) जनपद की एक तहसील है जो 25°59 उत्तर और 79°10 पूर्व पर स्थित है।

1. कूच का यह स्थान वीर शिरोमणी पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामुण्ड राय का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ पर 12 खम्बों पर बना हुआ एक गुम्बज जो चामुण्ड राय द्वारा महोबा की विजय के बाद निर्मित करवाया गया था। कूच में एक कुँआ भी है जिसके विषय में यह कहा जाता है कि जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चन्द्रवरदाई (पृथ्वीराज रासों के रचयिता) द्वारा करवाया गया था।
2. मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में कूच का क्षेत्र एरच सरकार के अधीन था।
3. वर्ष 1606 ई. में मुगल सम्राट ने शाहजहाँ कूच की जागीर वीरसिंह बुन्देला को दे दी थी।
4. मुगल सम्राट शाहजहाँ ने अपने शासन काल में कूच की यह जागीर वीरसिंह बुन्देला के पुत्र जुझारसिंह के अधिकार में दे दी थी।
5. दारा शिकोह ने कूच की यह जागीर 3 लाख रुपये में चम्पतराय को दे दी थी।
6. कुछ समय पश्चात समय परिवर्तित हुआ और परिवर्तन के दौर में छत्रसाल बुन्देला ने कूच पर अधिकार कर लिया। राज्य के बंटवारे के समय छत्रसाल बुन्देला के पुत्र सभासिंह को कूच की जागीर प्राप्त हुई। राज्य का एक तिहाई भाग छत्रसाल बुन्देला ने पेशवा बाजीराव (प्रथम) को देने का वचन दिया था। अतः सभासिंह ने अपने भाग में

से कूच मराठों के अधिकार में चला गया।

7. मराठों के अधिकार में जाने के कारण कूच के इस प्रदेश पर मराठों की सेना के साथ होलकर के सेनापति तुकोजीराव होलकर प्रथम (1795-1797ई.) का आना-जाना बना ही रहता था। अतः रख-रखाव की दृष्टि से एवं सैन्य खर्च की दृष्टि से पेशवा बाजीराव ने कूच का यह परगना सेनापति तुकोजीराव होलकर को प्रदान कर दिया। उस समय कूच परगने की वार्षिक आय 2,75,326रु. थी।

8. होलकर अधिपत्य स्थित कूच की इस जागीरी का क्षेत्रफल 158 वर्ग मील था और इस जागीरी में लगभग 95 गाँव समाहित थे।

9. कूच परगने की यह जागीर व्यापार व्यवसाय का एक बड़ा केन्द्र थी। सन 1840ई. तक कूच में लगभग 52 व्यावसायिक फर्म थी। जिसकी हुण्डी पूरे भारत में मान्य थी।

10. प्रबन्ध की दृष्टि से होलकरों को कूच परगने से कोई परेशानी नहीं थी किन्तु 19वीं शताब्दी के प्रथम से ही कूच के परगने पर अंग्रेजों की कु-दृष्टि लगी हुई थी। और वे इसे करने करने के लिए प्रयत्नशील थे।

11. 1805 ई. राजपुरघाट की सन्धि के समय तक भी सैद्धान्तिक रूप कूच का यह परगना भीमाराजे के पास ही बना रहा था, किन्तु उस पर प्रभुत्व अंग्रेजों का ही माना गया था किंतु 1857ई. में ब्रिटिश सरकार ने भीमाराजे की मृत्यु के पश्चात कूच के परगने को अपने अधिकार में ले लिया और बदले में भीमाराजे के उत्तराधिकारी को 20 हजार रुपये की पेंशन स्वीकृत कर दी। 14 दिसम्बर 1895 ई. को भीमाराजे के पति सरदार गोविन्दराव बोलिया का असमय में निधन हो गया। सरदार गोविन्दराव की मृत्यु से बोलिया परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा और सरदार गोविन्दराव बोलिया की मृत्यु से उसकी दो अन्य पत्नियों- सगुनाबाई और मंजुला बाई सौभाग्य अलंकरण से विहीन हो गई।

इंदौर स्थित श्रीकृष्ण सिनेमागृह के निकट ही सरदार गोविन्दराव बोलिया की सुन्दर छवि अवरिथत है। बोलिया सरकार की यह छवि वास्तुशिल्प का एक पूर्ण विकसित व परिवर्धित प्रति..... है। यह छवि आज भी सरदार बोलिया की यादगार को अपने अंग में समेटे हुए है।

मराठा अधिकारियों ने अपने निवास के लिए थांदकर (झाबुआ) में एक नई गढ़ी बनवाकर उसके आसपास एक नई बस्ती बसाई थी। जो विठोजी बुछे के उत्तराधिकारी पुत्र सरदार गोविन्दराव (द्वितीय) बुले के नाम पर बस्ती को 'गोविन्दपुरा' कहा जाने लगा।

सन् 1817ई. के महिदपुर युद्ध में भीमाराजे होलकर ने अपने रणकौशल का अभूतपूर्व परिचय दिया था किंतु अपराजेय ब्रिटिश सेना के सम्मुख उसे आत्म समर्पण करने के लिए विवश होना पड़ा।

सन् 1850 ई. में भीमाराजे की जीवन ज्योति विलुप्त हो गई और भीमा के देहावसान के पश्चात अंग्रेजी सरकार ने कूच को समृद्धशाली जागीर पर अपना पूर्ण आधिपत्य स्थापित कर लिया।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. नरहर रघुनाथ फाटक :-यशवन्तराव होलकर (प्रथम) पृ. 147
2. नरहर रघुनाथ फाटक :-यशवन्तराव होलकर (प्रथम) पृ. 128
3. एम.डब्ल्यू.बर्वे :- हिज हाइनेस महाराजा तुकोजीराव (द्वितीय) रुलर ऑफ इन्दौर, पृ. 253
4. एम.डब्ल्यू.बर्वे :- पृ. 4, डॉ. रघुवीरसिंह जो के संग्रह में "बोलियांची वरवर" में बोलिया परिवार का पृथक से इतिहास दिया गया है।
5. सर देसाई :- मराठी रियासत, भाग-3- पृ. 444
6. पेपर्स फ्रॉम दि इण्डिया आफिस रिकार्ड्स, जि-4-पृ. 1607-08
7. पेपर्स फ्रॉम दि इण्डिया आफिस रिकार्ड्स, जि-4-पृ. 1607-08
8. सर देसाई :- मराठी रियासत, भाग -3-पृ. 444
9. एम.डब्ल्यू. बर्वे :- तुकोजीराव (द्वितीय)
10. बलवन्तसिंह :- जालौन गजेटियर, पृ. 296
11. अबुल फजल :- आईन-ए-अकबरी, अनुवादक - जैरेट भाग -3- पृ. 104
12. डी.एल.ब्रोकमैन :- जालौन गजेटियर, पृ. 124
13. इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया, जि. 14-पृ. - 19
14. डब्ल्यू.आर.पोगसन :- हिस्ट्री ऑफ बुन्देलाज, 1974- पृ. 27
15. ब्रोकमैन :-जालौन गजेटियर, पृ. 126
16. सवाई माधवराव रोगनिशी, जि. 1- पृ. 127-223
17. बलवन्तसिंह :- जालौन गजेटियर, पृ. 186
18. बलवन्तसिंह :- जालौन गजेटियर, पृ. 141
19. सी.बी.बरोज :- रिजिजेन्टेरिक्ट नेनऑफ सेन्ट्रल इण्डिया, 06
20. एम.डब्ल्यू.बर्वे :- पृ. 255
21. पी.जे.व्हाइट :- फायलन रिपोर्ट ऑफ सेटफेक्ट ऑफ परगना कालपी इन दिच इन इनकारपोरेटड मोमालोर ऑफ जालौन, 1374